रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102024-258141 CG-DL-E-22102024-258141

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4246]

No.4246]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2024/आश्विन 30, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2024/ASVINA 30, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4620(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्ववर्ती तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसरण में, संख्या का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश(जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) जिसका गठन निम्नलिखित सदस्य से मिल कर किया जाता है, अर्थात्:-

(i) श्री. बंडला शिव शंकर प्रसाद, प्लॉट नंबर: 197, प्रशासन नगर, रोड नंबर 72, जुबली हिल्स, हैदराबाद – 500110 -अध्यक्ष;

(ii) डॉ. मुदुरु श्रीमुरली,
फ्लैट नंबर A-506, 5वीं मंजिल, मेदास अडोब,
रायथू बाजार के पीछे, जयशंकर नगर, आरसी रोड,
तिरुपति 517502

-सदस्य; और

6881 GI/2024 (1)

(ix)

डॉ. पोन्नेकांति जोसेफ रत्नाकर

सदस्य- सचिव।

-सदस्य;

- सरकार के विशेष सचिव, (iii) पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार आंध्र प्रदेश सचिवालय, वेलगापूड़ी, अमरावती
- 2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 3. प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पैरा 6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय लेगा।
- 5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में लिए जाएंगे और साधारण रूप से सर्वसम्मत होंगे:

परंतु यदि विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाता है, टीका-टिप्पणी के ब्यौरे दुबारा सुनवाई के लिए कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेज दी जाएगी।

6 केंद्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श में प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, आंध्र प्रदेश (जिसे इसके पश्चात समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं अर्थात: -

हात ह, उ	भयात्: -	
(i)	श्री बत्चु शिवा प्रसाद	-अध्यक्ष
.,	फ्लैट नंबर 102, त्रिनेत्र अपार्टमेंट्स, दासरी लिंगैया स्ट्रीट, मोगलराजापुरम,	
	विजयवाड़ा	
(ii)	श्री चेंचुगरला कृष्ण मूर्ति	-सदस्य;
	फ्लैट नंबर: जी -01, पद्मावती टावर्स, तिरुमलारेड्डी नगर, तिरुपति 517501	
(iii)	डॉ. थुम्मला चंद्रशेखर	-सदस्य;
, ,	हाउस नंबर 79/71-81, श्री राघवेंद्र टाउनशिप साक्षी कार्यालय के पास, कडप्पा	
(iv)	प्रो. कोंद्रा सुधाकर बाबू	-सदस्य;
,	फ्लैट नंबर 405, 5 वीं मंजिल, महबूब टावर्स, जॉर्जपेट, मोर मार्केट के पास, अनंतपुरम	ŕ
	515004	
(v)	प्रो. गोनुगुंटला वेंकट नायडू	-सदस्य;
	डोर नंबर 28-3-168, तारकनाथ कॉलोनी, शारदा नगर, जवाहरलाल नेहरू	
	टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, अनंतपुर	
(vi)	प्रो गुंटुकु गिरिजा शंकर,	-सदस्य;
	6-21-11/2, फ्लैट नंबर 401, स्काईलाइन वैभवम अपार्टमेंट, ईस्ट पॉइंट कॉलोनी,	
	विशाखापत्तनम-17	
(vii)	श्री गोदावती वीर वेंकट सत्यनारायण चौधरी,	-सदस्य;
	एसएल-04/7, पैरामाउंट टावर्स, पैनोरमा हिल्स, न्याय विद्या परिषद लॉ कॉलेज रोड,	
	येंददा, विशाखापत्तनम 530045	
(viii)	प्रो. पीला सुजाता,	-सदस्य;

पत्नी पीवीएलएन मूर्ति, डी. नंबर 1-51-8/2, सेक्टर-1, संजीव अस्पताल के पास, मुव्वाला वाणी पालेम कॉलोनी, लॉसंस बे कॉलोनी, विशाखापत्तनम – 530017

डी. नंबर 18-52/4, कोलाकालूर, तेनाली, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश 522307

- (x) डॉ. मुव्वा विजयलक्ष्मी -सदस्य; डी. नंबर 4-19-13/1, साई निलयम, विजयपुरी प्रथम लेन, जगरलामुडी कुप्पुस्वामी चौधरी कॉलेज रोड, गुंटूर -522006
- (xi) डॉ. बिल्ला सरथ बाबू -सदस्य; डी. नंबर 18-23, मिलिट्री कॉलोनी, उप्परपल्ली हाईवे के पास, आर्क, तिरुपति 517502
- (xii) प्रो. रमन्नगरी भवानी -सदस्य; डी. नंबर 13-2-426, रामचंद्र नगर, अनंतपुर
- (xiii) प्रो. चलमचेरला विजय -सदस्य; फ्लैट नंबर 102, लीला रोज़ेस अपार्टमेंट, श्रीनगर कॉलोनी, मगुंटा लेआउट, नेल्लोर 524001
- (xiv) डॉ. आरजा वीरा वेंकट सत्यनारायण स्वामी -सदस्य; और 103ए, पिन्नामनेनी रेजीडेंसी, गोली कृष्णा स्ट्रीट, रामवरपाडु, विजयवाड़ा-521108
- (xv) मुख्य पर्यावरण अभियंता सदस्य- सिवव आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ. येदुगुरी संदीप्ति राजशेखर रेड्डी पर्यावरण भवन, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कॉलोनी रोड, गुरुनानक कॉलोनी, ऑटो नगर, विजयवाड़ा -520007
- 7. सिमिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा।
- 9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कृत्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।
- 10. हित के किसी टकराव से बचने के लिए, -
 - (i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्य,-
 - (क) उस परामर्शदाता संगठन को घोषित करेगा जो परियोजना के प्रस्तावकों के साथ भी जुड़े रहे हैं ;
 - (ख) परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना, तैयारी के साथ कोई परामर्श या सहयोग नहीं करेंगे जिसे उनके कार्यकाल दौरान प्राधिकरण द्वारा अंकन किया जाना है; और
 - (ii) यदि पिछले पाँच वर्षों में किसी भी परियोजना के प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन प्रदान करता है, उस घटना में ऐसे प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में वे खुद को प्राधिकरण या समिति की बैठकों से हटा देंगे।
- 11. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेंगी और सचिवालय जो सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत आवास-सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उसके कृत्यों के संबंध में अन्य प्रसुविधा भी हैं, उपलब्ध कराएगी।
- 12. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक की फीस, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

[फा. सं. जे 11013/36/2007—आईए.II(I)] डा. अमनदीप गर्ग, अपर सचिव

-Chairman:

- Chairperson;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2024

S.O. 4620(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely: -

(i) Shri Bandla Siva Sankar Prasad,Plot no. 197 Prashasan Nagar, Road no. 72, Jubilee Hills, Hyderabad500110

(ii) Dr. Muduru Srimurali, -Member; and

Flat No.A-506, 5th Floor, MEDAS ADOBE, Behind Raithu Bazar Jayasankar Nagar, RC Road, Tirupathi 517502

(iii) Special Secretary to the Government, Environment, Forests, Science -Member Secretary.
and Technology Department, Government of Andhra Pradesh, Andhra
Pradesh Secretariat, Velagapudi, Amaravathi

- 2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures specified in the said notification.
- 4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 for the State of Andhra Pradesh.
- 5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and forward a copy thereof to the Central Government;

6. The Central Government, in consultation with the State Government of Andhra Pradesh, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following Members, namely:-

(i) Shri Batchu Siva Prasad,Flat No. 102, Trinethra Apartments, Dasari Lingaiah Street, Mogalrajapuram,Vijaywada

(ii) Shri Chenchugarla Krishna Moorthy, - Member;

Flat Number: G-01, Padmavathi Towers, Thirumalareddy Nagar, Tirupathi 517 501

(iii) Dr. Thummala Chandrasekhar, -Member;

H. No. 79/71-81, Shri Raghavendra Township Near Sakshi Office, Kadapa

(iv) Prof. Kondra Sudhakar Babu, -Member;

Flat No. 405, 5th Floor, Mahaboob Towers, Georgepet, Near More Market, Ananthapuramu 515004.

(v) Prof. Gonuguntla Venkata Naidu, -Member;

Door No.28-3-168, Tarakanath Colony, Sarada Nagar, Jawaharlal Nehru Technological University Engineering College Road, Anantapur

(vi) Prof. Guntuku Girija Sankar, -Member;

6-21-11/2, Flat No. 401, Skyline Vaibhavam Apartment, East Point Colony, Visakhapatnam-17

(vii) Shri Godavathi Veera Venkata Satyanarayana Chowdary,
SL-04/7, Paramount Towers, Panorama Hills, Nyaya Vidya Parishad Law
College Road, Yendada, Visakhapatnam 530045

(viii) Prof. Peela Sujatha,W/o PVLN Murthy, D. No. 1-51-8/2, Sector-1, Near Sanjeevi Hospital,

Muvvala Vani Palem Colony, Lawsons Bay Colony, Visakhapatnam – 530017

(ix) Dr. Ponnekanti Joseph Ratnakar,D. No. 18-52/4, Kolakalur, Tenali 522307, Guntur District, Andhra Pradesh

(x) Dr. Muvva Vijayalakshmi, --Member;
D.No. 4-19-13/1, Sai Nilayam, Vijayapuri 1st lane, Jagarlamudi Kuppuswamy
Choudary College road, Guntur -522 006

(xi) Dr. Billa Sarath Babu,D. No. 18-23, Military colony, Near Upparapalli Highway, Arch, Tirupati 517502

(xii) Dr. Ramannagari Bhavani, --Member;
D.No.13-2-426, Ramachandra Nagar, Anantapur

(xiii) Prof. Chalamcherla Vijaya,
Flat No. 102, Leela Roses Apartments, Srinagar Colony, Magunta Layout,
Nellore – 524001

(xiv) Dr. Arza Veera Venkata Satyanarayana Swamy, -Member; and 103A, Pinnamaneni Residency, Goli Krishna Street, Ramavarapadu, Vijayawada-521108

(xv) Chief Environmental Engineer,

-Member Secretary.

-Member;

-Member:

-Member;

-Member:

Andhra Pradesh Pollution Control Board,

Dr. Yeduguri Sandinti Rajasekhara Reddy Paryavaran Bhavan, Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited Colony Road, Gurunanak Colony, Auto Nagar, Vijayawada -520007

- 7. The Chairperson and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures specified in the said notification.
- 9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
- 10. In order to avoid any conflict of interest,-
 - (i) the Chairman and Members of the Authority, and the Chairperson and Member of the Committee shall,-
 - (a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
 - (b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and
 - (ii) if the Chairman or any Member of the Authority or the Chairperson and Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project

proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

- 11. The State Government of Andhra Pradesh shall specify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.
- 12. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Andhra Pradesh.

[F. No. J-11013/36/2007-IA.II(I)]

Dr. AMANDEEP GARG, Addl. Secy.